

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/प्राजाण/मंडी/46/43/विधि/951

भोपाल, दिनांक 05/09/2022

प्रति

1- संयुक्त संचालक,

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचालिक कार्यालय- (समस्त)

कार्यपालन यंत्री,

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

नकोकी संभाग- (समस्त)

विषय:-

दिनांक 28.07.2022 से 15.08.2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पशुपरीक्षण महो-

संदर्भ:-

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक/1037/2022/14/(एजीआर)(47552) दिनांक 01/08/2022, पत्र क्रमांक/1045/2022/14(एजीआर)/2022/14-2 दिनांक 03.08.2022 एवं पशुवर्ण विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक/2289/ईपीसीआ/22 दिनांक 20.07.2022

उपरोक्त विषयान्वित संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए। अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल के माध्यम से प्राप्त पशुवर्ण भोपाल का पत्र संलग्न है।

कृपया उपरोक्तनुसार पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तनुसार

(कार्यवाही उपसंचालक महोदय द्वारा अर्जमाहित)

सहायक संचालक(प्राजाण/समस्ता)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/09/2022

क्रमांक/प्राजाण/मंडी/46/43/952

प्रतिनिधि:-

1-

अवर सचिव, म.प्र. शासन, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल की ओर संदर्भित

पत्र के संबंध में सादर सूचनाएं।

2-

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति जिला..... (समस्त)

सहायक संचालक(प्राजाण/समस्ता)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

35

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भवन

क्रमांक: 1037/2022/14(AGR) (47552)

01/08/2022

प्रति,

1. संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषिअभियांत्रिकी/राज्य कृषि

वित्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, म.प्र.भवन।

2. प्रबंधक संचालक,

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड/ म.प्र.राज्य बीज एवं फस विकास निगम/

म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था/ म.प्र.राज्य वैश्विक प्रमाणीकरण,

भवन (म.प्र.)

3. कुलसचिव न.रा.क. वि० वि० जबरपुर/रा. वि० वि० सि० क० वि० वि०, बलिया, म.प्र.।

विषय- दिनांक 28 जलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पौधाराक्षण

महा अभियान के संबंध में।


संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन पशुवर्ण विभाग मंत्रालय भवन से प्राप्त पत्र क्रमांक/2289

/EPCO/22 दिनांक 20/07/2022

--00-

कृपया सलत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र में उल्लिखित विषय पर नियमानुसार

सलत-उपरीकेतानुसार



Signed by Jitendra Singh
Parihar
Date: 01-08-2022 17:52:03
Reason: Approved
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Handwritten signature/initials.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 186/दिनांक 5/8/22
DD/1/11

Handwritten notes: 1944, 18/8/2022, and other scribbles.

क्रमांक ११८१/ए.पी.सी/२२

मध्य प्रदेश शासन
प्रचलित विभाग,
भोपाल, भोपाल

भोपाल, दिनांक १०/७/२२

प्रति,

भारत सरकार,
मध्य प्रदेश

विषय :- दिनांक २८ जून २०२२ के मध्य प्रवेश आवेदनित प्रवेश आवेदन पत्रों पर
महा-अभियान के संबंध में दिनांक- निर्देश।

राज्य शासन द्वारा अर्क कार्यक्रम अन्तर्गत एककीय विभागों, नगरिकों, समुदायों एवं
शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता में अर्क-अर्क अभियानों के आयोजन के लिए दिनांक २८ जून २०२२ के मध्य प्रवेश आवेदन पत्रों पर निर्देशित किया गया है। महा-अभियान के संबंध में दिनांक- निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

मध्य - उपरोक्तप्रति।

(सोमेश शर्मा)
अपर सचिव, प्रचलित विभाग
भोपाल, दिनांक १०/७/२२

प्रतिभाषि
क्रमांक ११९०/ए.पी.सी/२२

१. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन (समस्त विभाग)
२. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।
३. भारत संभाग आर्यक, मध्य प्रदेश।
४. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
५. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, प्रचलित विभाग, मध्य प्रदेश।
६. मुख्य कार्यालय अहिकारी, एम.पी.एम.ई.डी.जी. भोपाल।

प्रमुख कार्यालय संयोजक, म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल, मध्य प्रदेश।
अपर सचिव, प्रचलित विभाग
१०/७/२२

२६

अपराध विभाग
सहायक सहायक
पुलिस विभाग

8

8. प्रतिमानियां द्वारा पंथारोपण के 30 दिन पश्चात "वापस-अंकुर" एप पर रीपिन पौधे की द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रमाण पत्र एप से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. "वापस-अंकुर" एप मांग लगे स्टोर अथवा एपल स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है।
6. इस अभियान में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पंथारोपण का पंजीयन अंकुर कार्यक्रम के "वापस-अंकुर" एप पर किया जावे तथा प्रत्येक रीपिन पौधे की फोटो अपलोड एप पर अपलोड की जावे।
5. पौधों की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति/संस्था के द्वारा स्वयं की जावेगी। वन/उद्यानिकी/कृषि विभाग की नर्सरी में उपलब्ध पौधों का उपयोग प्रचलित नियमानुसार किया जावेगा। रीपिन पौधों की सुरक्षा, सिंचाई एवं देखभाल की जिम्मेदारी पंथारोपण करने वाले व्यक्ति/संगठन/शासकीय संस्था की होगी।

3

अध्यक्ष शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भारत

क्रमांक: 1045/2022/14(AGR)/2022/14-2

03/08/2022

1 सचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि आभियानिकी,

सचालनालय, भारत।

2 प्रबंध सचालक,

अध्यक्ष राज्य कृषि विपणन बोर्ड/म 0 प 0 रा 0 बी 0 एवं काम विकास निगम/अध्यक्ष राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भारत।

विषय :- दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी प्रैथरीपुन महा-अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- पर्यावरण विभाग का पत्र क्रमांक 2289/ई 0 पी 0 सी 0 अ 0/22, दिनांक 20.07.2022

---000---

उपरोक्त विषयवर्तित संदर्भित पत्र की छायापति सहपत्र सहित संलग्न प्रेषित है।
प्रैथरीपुन महा-अभियान के संबंध में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यावही कर विभाग को अवगत
कराने का अनुरोध है।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Signed by Prakash Kumar
Makhija

Date: 03-08-2022 13:19:41

अदर साहित
अध्यक्ष शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग



18/8/2022
- 1957

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
दिनांक 18/8/22

अदर सचालक

अध्यक्ष

Handwritten signature

मध्य प्रदेश शासन
प्रतिबन्ध विभाग,
भोपाल, भोपाल

क्रमांक ११८९/ए.पी.सी.०/२२

भोपाल, दिनांक २०/७/२२

श्री
समस्त कर्मचारी,
मध्य प्रदेश

विषय - दिनांक २८ जुलाई से १५ अगस्त २०२२ के मध्य आयोजित प्रदेश स्तरीय पेशेवादी प्रतियोगिता के संबंध में दिनांक २८ जुलाई से १५ अगस्त २०२२ के मध्य प्रदेश स्तरीय पेशेवादी प्रतियोगिता आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया है।

राज्य शासन द्वारा अर्कर कार्यक्रम अन्तर्गत शासकीय विभागों, नगरिकों, समुदायों एवं स्वीडक संगठनों की सहभागिता में हेरियामी में हेरियामी अमावस्या दिनांक २८ जुलाई से १५ अगस्त २०२२ के मध्य प्रदेश स्तरीय पेशेवादी प्रतियोगिता आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया है। महाप्रतियोगिता के विधान-व्यवधान के संबंध में दिनांक २८ जुलाई से १५ अगस्त २०२२ के मध्य प्रदेश स्तरीय पेशेवादी प्रतियोगिता आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया है।

संलग्न - अर्कर कार्यक्रम

(श्रीमान् ०२-११)
अर्कर सचिव, प्रत्येक विभाग
एवं कार्यपालन संचालक, एच.पी.
भोपाल, दिनांक २०/७/२२

श्री
प्रतिबन्ध
क्रमांक ११९०/ए.पी.सी.०/२२

१. अर्कर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन (समस्त विभाग)
२. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।
३. समस्त विभाग आयुक्त, मध्य प्रदेश।
४. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
५. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, प्रत्येक विभाग, मध्य प्रदेश।
६. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी.एस.ई.डी.जी.सी, भोपाल।

एवं कार्यपालन संचालक, एच.पी.
अर्कर सचिव, प्रत्येक विभाग
२०/०७/२२

4

5. पौधों की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति/संस्था के द्वारा स्वयं की जावेगी। वन/उद्यानिकी/कृषि विभाग की नर्सरी में उपलब्ध पौधों का उपयोग प्रचलित नियमानुसार किया जावेगा। रोपित पौधों की सुरक्षा, सिंचाई एवं देखभाल की जिम्मेदारी पौधारोपण करने वाले व्यक्ति/संगठन/शासकीय संस्था की होगी।

6. इस अभियान में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पौधारोपण का पंजीयन अंकर कार्यक्रम के "वायुद्वैत-अंकर" एप पर किया जावे तथा प्रत्येक रोपित पौधों की फोटो वायुद्वैत एप पर अपलोड की जावे।

7. "वायुद्वैत-अंकर" एप गणन के स्तर अथवा एपल स्तर से हावन लोड किया जा सकता है।

8. प्रतिभागियों द्वारा पौधारोपण के 30 दिन पश्चात "वायुद्वैत-अंकर" एप पर रोपित पौधों की द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रमाण पत्र एप से हावनलोड किया जा सकता है।

अपने लक्षित
संस्थाओं को
प्राप्त किया

R